

Government of India  
Department of Atomic Energy  
Nuclear Fuel Complex  
CHSS Section

Ref.No.NFC/Admn./CHSS/2021/729

Dated 07.12.2021

**CIRCULAR**


DAE vide OM No. 7/21/99/CHSS/IR&W/213 dated 28.01.2003 has accorded approval for introduction of CHS scheme at NFC, Hyderabad for providing medical facility to the Officers and staff (serving / retired) and their dependent family members. The said CHS scheme will cover the Units / Organizations located at Hyderabad – Secunderabad, with Chief Executive, NFC as the Administering Authority.

2. As per the said scheme, serving employees shall make a monthly contribution of 1% of the basic pay which would be recovered from the salary on the basis of the pay of the employee on the first day of each calendar month. Similarly, retired employees has an option to pay annual or lifetime contribution for continuation of the said facility.

3 In accordance with Rule 13.8 of CHSS Rules, the facilities of the scheme will be available to the person who is proceeding on any kind of leave including EOL and the contribution shall be recovered based on the pay drawn by him / her before proceeding on such leave. **However, the Appointing Authority will have the right to stop the facilities in case of employees remaining absent unauthorizedly.** Similarly, in accordance with Rule 13.11 of CHSS in case of employees under suspension, the contribution shall be recovered on the basis of the subsistence allowance. **If the subsistence allowance is withdrawn the availability of CHSS facility will be suspended as long as the suspension continues.**

4. In view of the above, all serving employees of NFC may kindly note the above.

5. This issues with the approval Competent Authority, NFC

  
(Nagarjuna Prasad)  
Administrative Officer-III(CHSS)  
07/12/2021

All the employees  
All Plants / Sections  
All Notice Boards

Contd...2

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र  
सीएचएसएस अनुभाग

सं. Ref.No.NFC/Admn./CHSS/2021/729

दिनांक 07.12.2021

परिपत्र

परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 28.01.2003 के कार्यालय क्र.ज्ञा.क्र.7/21/99/CHSS/ IR&W/213 के द्वारा अधिकारियों एवं स्टाफ (सेवारत/सेवानिवृत्त) और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में सीएचएस योजना को प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालक, नाईस रहेंगे और यह योजना हैदराबाद-सिकंदराबाद स्थित इकाइयों/संगठनों को कवर करेगी।

2. उपर्युक्त योजना के अनुसार, सेवारत कर्मचारी मूल वेतन का एक प्रतिशत मासिक अंशदान करेंगे जिसकी वसूली प्रत्येक कैलेण्डर महीने के प्रथम दिन पर कर्मचारियों के वेतन के आधार पर वेतन से की जाएगी। इसी प्रकार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास उक्त सुविधा को जारी रखने के लिए वार्षिक अथवा जीवनकाल का अंशदान के भुगतान करने का विकल्प है।

3. सीएचएसएस नियमावली के नियम 13.8 के अनुसार इस योजना की सुविधाएं उन व्यक्तियों को उपलब्ध रहेगी जो असाधारण छुट्टी (ईओएल) सहित किसी प्रकार की छुट्टी ले रहे हैं और इसके लिए अंशदान की वसूली ऐसी छुट्टी पर जाने से पूर्व उनके द्वारा आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी। तथापि, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मामले में सुविधाएं रोक रखने का अधिकार सुरक्षित है। इसी प्रकार, निलंबनाधीन कर्मचारियों के मामले में सीएचएसएस के नियम 13.11 के अनुसार, अंशदान की वसूली निर्वाह भत्ता के आधार पर की जाएगी। यदि निर्वाह भत्ता रोक दिया जाता है तो सीएचएसएस सुविधा का लाभ ऐसे निलंबन जारी रहने तक रोक दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, नाईस के सभी सेवारत कर्मचारी कृपया इसे नोट कर लें।

5. इसे नाईस में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



सभी कर्मचारियों हेतु  
सभी संयंत्र / अनुभाग  
सभी सूचनापट्ट



(नागार्जुना प्रसाद)

प्रशासनिक अधिकारी (सी एच एस एस)

Contd...3

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ - for kind information please
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक/परि.निदे.जेडसी/पलय/महाप्रबंध/क्षे.नि.,.क्रभनिहैए /उपमहाप्रबंध प्रधान /वरि.प्रबंध/प्रबंध/उप प्रबंध/कार्या.प्रभारी/  
DCEs/PD, ZC(P)/GMs/RD, HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
3. प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(सीएचसी व सीएचएसएस)/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी ,नाईस  
Head, Medical Division / CMS (CHC & CHSS)/CMO/Medical Officer's, NFC
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईस/CAO, NFC
5. संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा)/JC (F & A), NFC
6. उप महानिरीक्षक ,पऊवि मुख्यालय/समादेष्टा ,कें.औ.सु.ब./  
DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
7. महासचिव, नाईस औ.का.संघ/ General Secretary, NFC IWU
8. अध्यक्ष ,नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ  
President, NUFCOSSA/ NFCSSAA / NUFCOA
9. स.क.अ.(स्था.-I/II/III) , नाईस-अनुपालन हेतु और अनुरोध है कि इस परिपत्र के पैरा-III में उल्लिखित उन कर्मचारियों के विवरण सीएचएसएस अनुभाग को सूचित करें।  
APO(Estt-I / II/ III), NFC - for compliance and with a request to kindly inform CHSS section the details of those employees mentioned in para-III of Circular.

सूचनार्थ प्रति / Copy also for information to:

1. मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CA & AO, AMDER, Hyderabad
2. प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद / Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, आईसीएस-I/II, एएयूएच, हैदराबाद Principal, AECS-I/JS, Vice Principal / Incharge, AECS-II, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएल कैंपस, हैदराबाद  
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
7. आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद/ IIW, DAE, Hyderabad
8. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू) एम (शहर कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद  
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
9. समन्वयक, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन / Coordinator, Retired Employees'

